क्रमांक......

22.5.18 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट [illegible] में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील ग्राम छावसरी के नामान्तरण सं. 1176 पर ग्राम पंचायत छावसरी के आदेश दिनांक 20.10.2009 के विरुद्ध की है। अपीलान्ट का कथन है कि सरपंच ग्राम पंचायत छावसरी द्वारा अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद भरे गये नामान्तरकरण सं० 1176 खारिज करने से पूर्व कोई जांच नहीं की गई तथा न ही अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण पर सरपंच ग्राम पंचायत छावसरी का आदेश दिनांक 20.10.2009 विधि विरुद्ध होने के कारण खारिज योग्य है।

प्रस्तुत अपील एवं नामा. सं. 1176 ग्राम छावसरी का अवलोकन करने पर पाया गया कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नामा. सं. 1176 इस आशय के साथ खारिज किया गया है कि "वारिसान की पुष्टि के अभाव नामा० खारिज किया जाता है"। सरपंच ग्राम पंचायत छावसरी द्वारा नामान्तरकरण खारिज करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा न ही प्रकरण की जांच की गई। उक्त विवेचन से नामा. सं. 1176 पर सरपंच ग्राम पंचायत छावसरी का आदेश दिनांक 20.10.2009 को अपास्त किया जाना तथा नामान्तरकरण को वास्ते जांच व तस्दीक हेतु तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा नामा. सं. 1176 ग्राम छावसरी पर सरपंच ग्रा. पं. छावसरी के आदेश दिनांक 20.10.2009 को अपास्त किया जाता है। उक्त नामा. तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक अमरसिंह के वारिसान की जांच कर नामा० तस्दीक करने की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसलशुदा होकर [illegible] में जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)

Scanned by CamScanner